P: ISSN NO.: 2394-0344 RNI No.UPBIL/2016/67980 VOL-3* ISSUE-11* February 2019
E: ISSN NO.: 2455-0817 *Remarking An Analisation*

लोकतंत्र पर अम्बेडकर के विचार : एक अध्ययन

मनोज कुमार
सहायक आचार्य,
राजनीति विज्ञान विभाग,
राजकीय महाविद्यालय,
सांगोद, (कोटा) राजस्थान,
भारत

सारांश

अम्बेडकर लोकतंत्र व्यवस्था के प्रमुख हिमायती थे। उनका परिवर्तन का रास्ता फासीवादी और अराजकतावादी नहीं था। उनका चिन्तन हमेशा विवेकशील और पक्षपात रहित रहा, दलितों और पिछड़ों के लिए उनकी आवाज हमेशा बुलन्द रही। संसदीय प्रणाली में उनका अटूट विश्वास था। संसदीय लोकतंत्र में आर्थिक समानता और आर्थिक आजादी को जीवित रखना उनकी पहली प्राथमिकता में शामिल रहा। अम्बेडकर का मानना था कि लोकतंत्र का अर्थ है– वंशानुगत परम्परा के खिलाफ यानी कोई भी व्यक्ति राजा का वंशानुगत होने के कारण शासक नहीं बन सकता है। यदि जिसे भी शासक बनना है तो वह समय–समय पर जनता द्वारा चुना जाएगा। उसे जनता का समर्थन मिलना आवश्यक है। प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था में वंशानुगत शासन व्यवस्था का कोई स्थान नहीं है। उनका मानना था कि संसदीय शासन व्यवस्था में देश में स्वतंत्र और न्यायपूर्ण चुनाव का अवसर मिलता है, जिनके आधार पर प्रजातंत्र कार्य करता है। एक सत्ता की राजनीतिक जीवन की कुंजी विपक्ष है और विपक्ष का होना प्रजातंत्र में आवश्यक अंग है। विपक्ष की भूमिका को स्वीकार करते विपक्ष के नेता को तनख्वाह दी जाती है। उनका मानना था कि सरकार जीवित होने के साथ विपक्ष का जीवित होना आवश्यक है।

मुख्य शब्द : लोकतंत्र, विपक्ष, संसदीय प्रणाली, मतदान, अम्बेडकर, समानता, स्वतंत्रता।

प्रस्तावना

अम्बेडकर ने भारत के प्रत्येक नागरिक को धर्म, भाषा, वर्ग और वर्ण के आधार पर अलग–अलग रहते हुए भी भारतीय होने का अधिकार प्रदान किया। भारत को मजबूत बनाए रखने के लिए लोकतांत्रिक प्रणाली दी और प्रजातंत्र की प्रणाली को और मजबूत करने के लिए समता का ज्ञान दिया। समता तभी स्थापित होगी, जब समाज में मनुष्य के द्वारा मनुष्य का शोषण नहीं किया जाएगा। चाहे वह सामाजिक हो या आर्थिक शोषण, भारत में एक–दूसरे के पूरक होकर विभिन्न रूपों में कायम है। नवीन समाज की धारणा में लोकतंत्र को अम्बेडकर ने मूल आधार बनाया। उनका मानना था कि प्रजातंत्र सरकार का एक स्वरूप मात्र नहीं वह तो साहचर्य की स्थिति में रहने का एक ढंग है, जिसमें सार्वजनिक अनुभव का समवेत रूप से संप्रेषण होता है। प्रजातंत्र का मूल आधार अपने साथियों के प्रति मानव और आदर की भावना का होना है। वे भ्रातृत्व के आधार पर प्रजातंत्र स्थापित करना चाहते थे। प्रजातांत्रिक व्यवस्था काल्पनिक न होकर, वास्तविक होनी चाहिए। वोट देना, चुनाव कराना और वैधानिक रूप मानना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि प्रजातंत्र में सबकी समान सम्पत्ति होनी चाहिए, न कि कुछ व्यक्तियों की। सबकी सम्पत्ति मानकर प्रजातंत्र की जड़ें सुदृढ़ हो सकती है।

अध्ययन का उद्देश्य

प्रस्तुत शोध अम्बेडकर के लोकतांत्रिक विचारों पर आधारित है तथा इसके निम्न उद्देश्य है–

1. लोकतंत्र की परिभाषा एवं अर्थ प्रस्तुत करना।
2. लोकतंत्र के सम्बंध में भीमराव अम्बेडकर के विचारों का विस्तृत अध्ययन करना।
3. भीमराव अम्बेडकर द्वारा लोकतंत्र के बताये गये गुणों की समीक्षा करना।
4. डॉ. भीमराव अम्बेडकर द्वारा लोकतंत्र की बताई गई कमियों की जांच करना।
5. वर्तमान समय में अम्बेडकर के लोकतांत्रिक विचारों की प्रासंगिकता का अध्ययन करना।

शोध पद्धति

शोध विषय की व्याख्या और अध्ययन के उद्देश्य के उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि शोध विषय के आयाम सैद्धान्तिक, दार्शनिक एवं व्यावहारिक समस्त प्रकार के है।

प्रस्तुत शोध अध्ययन की प्रकृति के अनुरुप अध्ययन की पद्धति वर्णात्मक एवं विश्लेषणात्मक है। लोकतंत्र की अवधारणा के तात्विक आधारों के अभिज्ञान व व्याख्या हेतु यथासंभव अम्बेडकर के मूल कथनों व रचनाओं को आधार बनाया गया है। निष्कर्ष, अम्बेडकर के विचारों के तार्किक, वस्तुनिष्ठ व विवेकसम्मत धारणाओं व तथ्यों के अर्थान्वयन व विश्लेषण पर आधारित है।

साहित्यावलोकन

जब कोई अनुसंधान किया जाता है तो भविष्य को दृष्टिगत रखते हुए किया जाता है। वर्तमान में किया गया अनुसंधान ही भविष्य का आधार बनता है। इसी प्रकार वर्तमान में किये जाने वाले अनुसंधान को करने से पूर्व उस विषय में किये गये पूर्व अनुसंधानों का सर्वेक्षण करना जरुरी होता है। क्योंकि यह वर्तमान अनुसंधान की नींव होता है। इसलिए वर्तमान शोध विषय से सम्बन्धित प्रकाशित साहित्य का यहां अवलोकन किया गया है यथा–

रामगोपाल सिंह ने अपनी रचना 'सामाजिक न्याय एवं दलित संघर्ष' 1994 में सामाजिक न्याय की व्याख्या भारतीय सन्दर्भ में की है इस पुस्तक में कुल सात लेख है। यद्यपि ये सभी लेख अपने आप में स्वतंत्र है फिर भी पूर्व नियोजित और समन्वित विचार परिधि में लिखे जाने के कारण इनमें चरणबद्धता व लयबद्धता तो बनी हुई है और पुनरावृति भी नहीं हो पाई है। प्रथम लेख में सामाजिक न्याय की अवधारणा को स्पष्ट किया गया है दूसरे से लेकर पाँचवें लेख तक भारत में सामाजिक न्याय के ऐतिहासिक व संवैधानिक सन्दर्भ, आरक्षण तथा दलित मुक्ति जैसे विषयों को स्पष्ट किया गया है। छठा लेख भारत में सामाजिक न्याय की स्थापना में अम्बेडकर के अवदान पर प्रकाश डालता है तथा अन्तिम एवं सातवें लेख में गांधी और अम्बेडकर के विचारों का तुलनात्मक विश्लेषण किया गया है।

धर्मचन्द जैन ने अपनी रचना 'भारतीय लोकतंत्र' 2000 में बताया है कि राष्ट्रीय आंदोलन में लोकतंत्र, समाजवाद तथा धर्मनिरपेक्षता के जिन महान मूल्यों की परिकल्पना की गई थी, उन्हें संविधान निर्माताओं ने संविधान में समाहित करते हुए देश में सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न लोकतांत्रिक गणराज्य की नींव डाली है। प्रस्तुत पुस्तक में 1952 ईस्वी से 1962 ईस्वी के बीच की भारतीय राजनीति की पृष्ठभूमि तथा इसकी मुख्य प्रवृतियाँ, निर्वाचन तंत्र राजनीतिक दलों की सहभागिता, मतदान–व्यवहार और उसका रुझान तथा भविष्य की दिशा एवं दशा का सांगोपांग विश्लेषण किया गया है।

विश्व प्रकाश गुप्त एवं मोहिनी गुप्त द्वारा लिखी गई पुस्तक 'भारत में सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन' 2001 में स्वतंत्रता परवर्ती काल में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के आधार पर भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था की मुख्य प्रवृतियों और संस्थाओं का विश्लेषण किया गया है यह पुस्तक तीन खण्डों में विभक्त है पहले खंड में सामाजिक परिवर्तनों की दशा तथा दिशा का आख्यान किया है और उन्हें प्रकृति की शाश्वत प्रक्रिया माना है दूसरा खंड आर्थिक परिवर्तनों पर केन्द्रित है इसमें आयोजना, विकास की दशाओं, अर्थव्यवस्था की नवीनतम प्रवृत्तियों और मानवीय पक्ष से सम्बन्धित मुद्दों को उठाया गया है। तीसरा खंड स्वर्ण जयंती का है। इसमें आजादी के पचास सालों की मुख्य तिथियों और घटनाओं का विवरण दिया गया है।

पुरणमल यादव एवं विजेन्द्र सिंह शेखावत द्वारा लिखित पुस्तक 'दलितोत्थान एवं सामाजिक न्याय' 2008 में भारतीय समाज के बारे में लिखा गया है कि आज राष्ट्र एवं समाज का ध्यान सामाजिक न्याय एवं सुरक्षा के मुद्दों की और केन्द्रित है यह एक विडम्बना है कि जिन संस्थानों को सामाजिक न्याय एवं सुरक्षा का प्रभार संविधान ने दिया है, बहुधा उन्हीं के विरूद्ध उनमें व्यतिक्रमण का आरोप लगता रहता है संभवतः हमारे देश की पुरानी कानूनी पद्धति एवं प्रशासनिक ढाँचे के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है या सामाजिक व्यवस्था शुरू से ही जब से जाति व्यवस्था बनी है। यद्यपि कानुनी प्रावधानों एवं सरकारी प्रयासों के परिणामस्वरूप दलित जातियों के प्रति अन्याय और अत्याचारों का स्वरूप अब पहले जैसा नहीं है लेकिन अभी ओर सुधार की आवश्यकता है तभी सामाजिक न्याय की स्थापना संभव है।

सुकन पासवान प्रज्ञाचक्षु ने अपनी रचना 'केवल दलितों के मसीहा नहीं है अम्बेडकर' 2011 में लिखा है कि अम्बेडकर ने सदियों से सभी तरह के अधिकार एवं सुविधा से वंचित जनसमुहों में यदि चेतना का संचार किया और उन्हें शिक्षित, संगठित होकर संघर्ष का मार्ग बताया तो यह उनका दलित–प्रेम नहीं बल्कि सभी मूल, कुल, वंश, जाति, गोत्र,, नस्ल, सम्प्रदाय, वर्ण, वर्ण के अधिकार से वंचितों की सच्ची सेवा का दुर्लभ उदाहरण है। सुविधा तथा अधिकार वंचित मात्र दलित ही नहीं है वे भी है जिनकी उन्नति तथा सम्द्धि के सभी मुहानों को उद्धारक कहलाने वाले मायावी मानवों ने अवरूद्ध कर रखा है। श्रम–समस्या, नारी–उत्थान, धर्म, सामाजिक न्याय, उद्योग, कृषि, मानव–संसाधन, जल–संसाधन, बीमा उद्योग, मद्यनिषेध, शिक्षा, लोकतंत्र, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, संघीय शासन प्रणाली, भाषायी प्रांत और राष्ट्रभाषा आदि विषयों पर अम्बेडकर के चितंन तथा सिद्धान्त आज भी प्रासंगिक है।

श्यामलाल ने अपनी कृति 'अम्बेडकर और दलित आंदोलन' 2015 में अम्बेडकर आंदोलन के सामाजिक–राजनीतिक इतिहास और बौद्ध धर्म में धर्मान्तरण के 75 वर्षो की खोज–खबर लेते हुए दलितों के उद्यमों, टकरावों और अनुभवों का लेखा–जोखा प्रस्तुत किया गया है यह रचना दलितों और भारतीय राजनीति पर अम्बेडकर के भाषणों और आंदोलन के प्रभाव तथा हिन्दु धर्म के अनुष्ठानों एवं चुनौतियों को अलग तरीके से परिभाषित करती है।

एम. एल. परिहार ने अपनी पुस्तक 'बाबा साहेब अम्बेडकर : लाइफ एण्ड मिशन' 2017 में डॉ. भीमराव अम्बेडकर के जीवन पर प्रकाश डाला है तथा अम्बेडकर के नारी उत्थान व समाज विकास सम्बंधी विचारों का

उल्लेख करते हुए, इन्हें भारत के लिए महत्वपूर्ण योगदान बताया है।

रमेश एहसास ने अपनी रचना 'बाबा साहब डॉ. भीमराव अम्बेडकर' 2018 में डॉ. भीमराव अम्बेडकर के जन्म से लेकर शिक्षा, राजनीति, समाज, समाज सुधार, संविधान निर्माण, पारिवारिक जीवन, लंदन यात्रा, पुनर्विवाह तथा अन्त तक की सम्पूर्ण जीवनी का विस्तार से वर्णन किया है।

अम्बेडकर के लोकतंत्र सम्बंधी विचार

वर्तमान में लोकतंत्र बहुचर्चित शब्द है। लोकतंत्र का अंग्रेजी पर्याय 'डेमोक्रेसी' मूल ग्रीक भाषा के 'डेमोस' तथा 'क्रेशिया' से मिलकर बना है। जिसमें 'डेमोस' का अर्थ लोग तथा 'क्रेशिया' का तात्पर्य है शासन। अर्थात् डेमोक्रेसी का अर्थ है लोगों का शासन। जनशासन ही लोकतंत्र है।

डॉ. भीमराव अम्बेडकर का सम्पूर्ण जीवन लोकतंत्र के आग्रहों से अभिप्रेरित रहा है। वे लोकतंत्र को जीवन का मुख्य आधार मानते थे। उनका मत था कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास लोकतंत्र के बिना संभव नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की लोकतंत्र को लेकर दी गई परिभाषा– 'लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन ही है' में उनका अटूट विश्वास था। डॉ. अम्बेडकर ने लोकतंत्र के निम्न महत्वपूर्ण आधार बताये है–

स्वतन्त्रता

स्वतन्त्र भ्रमण, जीवन और सम्पत्ति के अर्थ में स्वतन्त्रता आवश्यक है। डॉ. अम्बेडकर ने कहा कि सभी लोगों को स्वतन्त्र भ्रमण तथा आवागमन की सुविधा होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने निजी सम्पत्ति के अधिकार का समर्थन किया। जीवन और स्वास्थ्य की सुरक्षा उसी समय भली भाँति सम्भव हो सकती है, जब आदमी को निजी सम्पत्ति को रखने और प्रयोग करने का अधिकार हो। उनके अनुसार, 'यदि व्यक्तियों की शक्तियों को प्रभावशाली तथा सक्षम ढंग से उपयोग में लाया जाए तो निश्चय ही स्वतन्त्रता का अधिकार लाभदायक सिद्ध होगा। अपने समाज में डॉ. अम्बेडकर ने राजनीतिक स्वतन्त्रता–दल बनाने, चुनाव लड़ने, मताधिकार प्रयोग करने, संगठित होने, प्रचार तथा अभिव्यक्ति आदि का प्रबल समर्थन किया। एक आदर्श समाज के लिए डॉ. अम्बेडकर ने धार्मिक स्वतन्त्रता को भी आवश्यक माना। उनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को धर्म धारण एवं धर्म प्रचार की स्वतन्त्रता दी जानी आवश्यक है। सभी नागरिकों को धार्मिक संस्थाएँ निर्मित करने का अधिकार भी होना चाहिए। किसी व्यक्ति या समुदाय के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। राजनीतिक दृष्टि से वह राज्य के धर्म–निरपेक्ष स्वरूप का ही समर्थन करते थे। इस प्रकार स्पष्ट है कि डॉ. अम्बेडकर व्यक्ति, समाज और राष्ट्र की समृद्धि, संगठन और शक्ति के लिए सभी प्रकार की स्वतन्त्रताओं के पक्ष में थे। लोकतंत्र में स्वतन्त्रता का होना बहुत जरूरी है।

समानता

अम्बेडकर समता के सिद्धान्त को वैचारिक एवं व्यवहारिक दोनों रूपों में महत्व देते थे। उन्होंने यह माना कि सब मनुष्य समान पैदा नहीं होते, परन्तु उन्होंने प्रश्न किया कि क्या सभी मनुष्यों के साथ असमानता का व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि वे असमान जन्में है। अम्बेडकर ने स्पष्ट किया कि 'जहाँ तक व्यक्तिगत प्रयत्नों का सम्बन्ध है, उनको भिन्न अथवा असमान माना जा सकता है, किन्तु लोगों को अपनी व्यक्तिगत प्रतिभा एवं शक्ति को प्रदर्शित करने का अवसर तो दिया जाना चाहिए ताकि वे अपने को प्रगतिशील बना लें और समाज में कुछ योगदान कर सके। यदि व्यक्तियों को असमान ही समझकर व्यवहार किया जाए, तो उनकी दशा अकल्पनीय हो जाएगी। डॉ. अम्बेडकर के अनुसार यदि ऐसा ही ठीक समझा जाए, तो जिन व्यक्तियों के पक्ष मे जन्म, धन, शिक्षा, परिवार, नाम एवं व्यावसायिक सम्बन्ध हैं, वे ही लोग मानव दौड़ मे प्रथम आएंगे। उन्हीं को सुअवसर प्राप्त होंगे। परन्तु यह एक कृत्रिम चुनाव होगा जिसका आधार विशेष प्रतिष्ठा होगी न कि योग्यता। डॉ. अम्बेडकर की दृष्टि में, चुनाव हमेशा योग्यता के आधार पर ही होना चाहिए, अन्यथा सामाजिक प्रजातंत्र एवं मानवतावाद के प्रति घोर अन्याय होगा। उन्होंने यह भी कहा कि 'वे लोग जो बिना सुविधाओं के आगे नहीं बढ़ सकते, उन्हें आवश्यक रूप से सुविधाएं दी जानी चाहिए। ऐसा कार्य न्याय तथा निष्पक्षता से किया जाए, तो बहुत अच्छा होगा। उनके अनुसार यदि कोई समाज अपने सदस्यों को प्रगतिशील, उत्तम और उत्तरदायी बनाना चाहता है, तो यह समता को आधार मानकर ही सम्भव हो सकता है, इसलिए नहीं कि सब लोग समान हैं, बल्कि इसलिए कि उनका न्याय संगत विभाजन करना असम्भव है। उन्होंने अवसरों की एकता पर बल नहीं दिया, अपितु प्राथमिकताओं की समता को न्यायोचित स्थान दिया। लोकतंत्र में समानता बहुत जरूरी है।

भ्रातृत्व

परम्परावादी दृष्टिकोण के अनुसार भ्रातृत्व का अर्थ 'दान' व 'दया' है। परन्तु डॉ. अम्बेडकर ने भ्रातृत्व के इन अर्थो को नहीं माना और कहा कि भ्रातृत्व का आदर्श मुख्यतः सामाजिक है, न कि ईश्वरवादी। उन्हीं के शब्दों में, 'आदर्श समाज प्रगतिशील होना चाहिए। उसमें ऐसी भरपूर सारणियाँ होनी चाहिए कि वह समाज के एक हिस्से में हुए परिवर्तन की सूचना अन्य हिस्सों को दे दे। आदर्श समाज में अनेक प्रकार के टिन होने चाहिए जिन पर लोग सोच–समझकर विचार–विमर्श करे और उनके बारे में एक–दूसरे को बताएँ और सब उसमें हिस्सा ले। दूसरे शब्दों में समाज के भीतर सम्पर्क सर्वत्र होना चाहिए। इसी को भ्रातृत्व' कहा जाता है और यह प्रजातन्त्र पर आधारित है, वर्ग हिंसा, वर्ग घृणा, वर्ग–संघर्ष, उग्रवाद की पूरी तरह सुरक्षा और समाज की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए राज्य के हस्तक्षेप व दायित्व को आवश्यक मानते थे। यह उनके मानववाद को केवल काल्पनिक मानवाद न होकर वास्तविक सामाजिक मानववाद में रूपान्तरित करता है। सामाजिक जनतंत्र के बारे में उन्होंने बताया कि एक जीवन–पद्धति है, जो स्वतंत्रता, समानता व भ्रातृभाव को जीवन के आदर्शो के रूप में स्वीकार करती है।

अम्बेडकर के प्रजातंत्र में मुख्य आधार व्यक्ति, उसकी स्वतंत्रता तथा उसके सम्मान में अटूट आस्था को परिलक्षित करना है और यह तभी संभव हो सकता है जब राज्य ऐसी परिस्थितियां तैयार करे, जिससे सब लोगों का विकास हो सके। समाज का मूल उद्देश्य सामाजिक न्याय अर्थात् सामान्य जन–कल्याण है और राज्य का कार्य इसे व्यावहारिक जगत में अवतरित करना है। समाज और राज्य में सामंजस्य मानवता के हित में है। जनतांत्रिक व्यवस्था में वे राज्य को एक आवश्यक संस्था मानते हैं क्योंकि समाज की आन्तरिक अशांति तथा बाहरी आक्रमण से राज्य ही रक्षा करता है। सामाजिक न्याय की अवधारणा में आर्थिक तत्व की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और अम्बेडकर ने इस तथ्य पर समुचित ध्यान दिया है। उनका मानना था कि आर्थिक तथा सामाजिक प्रजातंत्र के अभाव में राजनीतिक प्रजातंत्र निरर्थक होगा। आर्थिक समानता की स्थापना के लिए वे आर्थिक नियंत्रण राज्य के हाथ में देना चाहते थे ताकि आर्थिक असमानता की खाई को पाटा जा सके। अम्बेडकर ने औद्योगीकरण तथा मशीनीकरण का समर्थन किया है। वे जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति को अनिवार्य मानते थे। अम्बेडकर राजनीतिक दृष्टि से, प्रजातंत्र, वयस्क मताधिकार, एक मत–एक व्यक्ति अथवा एक आदमी, एक मूल्य, कानून का शासन, संसदीय शासन प्रणाली, संवैधानिक प्रभुसत्ता आदि के पक्षधर रहे हैं। साथ ही राज्य समाजवाद के महत्व को स्वीकार करते हैं, क्योंकि भारत में आम जनता की सामाजिक और आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए सरकारी तंत्र के सदुपयोग की जरूरत नहीं है। उनका कहना था कि प्रजातंत्र न केवल एक राजनीतिक व्यवस्था है, वरन् एक सामाजिक जीवन पद्धति भी है जिसका समता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व के आधार पर नियमन करना सांवैधानिक अनिवार्यता है। अम्बेडकर ने कहा, 'भारतीयों को मात्र गणतंत्र से ही संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए। हमें अपने राजनीतिक जनतंत्र को एक सामाजिक जनतंत्र बनाना चाहिए। राजनीतिक जनतंत्र अधिक दिनों तक आगे नहीं बढ़ सकता, यदि उसका आधार सामाजिक जनतंत्र नहीं है।' अम्बेडकर यह भी मानते थे कि मानव व्यक्तित्व के निर्माण में स्वतंत्रता की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है और अपने को अनेक रूपों में अभिव्यक्त करता है। स्वतंत्रता के माध्यम से ही व्यक्ति के अन्दर प्रतिभाएं जागृत होती हैं और वह अपने भाग्य का निर्माण भी करता है। वे आगे कहते हैं कि 'समानता आदमी को आदमी, समूह को समूह और समुदाय को समुदाय के साथ बांधती है।' जो स्वतंत्रता और समानता के लिए उपयुक्त वातावरण पैदा करते हैं, जहां लोग उनके व्यवहार से लाभान्वित हो सकें। अम्बेडकर ने भ्रात्त्व का अर्थ बताते हुए स्पष्ट किया कि भारतीयों के बीच एक सामान्य भाईचारे की भावना है, सभी भारतीय एक राष्ट्र हैं।

अम्बेडकर साम्यवादी विचारधारा के खिलाफ थे। उन्हें सर्वहारा की तानाशाही के सिद्धान्त पर आस्था नहीं थी। अपनी मान्यताओं पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने अमरीकी गृह युद्ध के महान नेता द्वारा की गई लोकतंत्र की व्याख्या का उल्लेख किया और कहा 'जनता द्वारा जनता के लिए चुनी गई जनता की सरकार है।' लोकतंत्र की और भी परिभाषाएं हो सकती हैं। मैं स्वयं लोकतंत्र को एक अलग ढंग से परिभाषित करता हूं, अधिक मूर्त रूप में। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र ऐसी सरकार है जिसमें जनता के सामाजिक और आर्थिक जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन, रक्तहीन तरीके से किए जा सकें। लोकतंत्र की यही मेरी परिभाषा है। अम्बेडकर एक ऐसे लोकतंत्र समर्थक थे जो ब्राह्मणवाद के सिद्धान्त की तरह जन्म पर आधारित नहीं हो, बल्कि योग्यता और गुणवत्ता पर आधारित हो। वे चाहते थे कि शैक्षिक कुलीनतंत्र और सामाजिक गतिशीलता का समन्वय हो। उन्होंने लोकतंत्र में समतामूलक समाज की कल्पना की, जिसमें समान अवसरों का सिद्धान्त कारगर ढंग से काम कर सके।

अम्बेडकर पश्चिम के उदार लोकतांत्रिक आदर्श से बहुत प्रभावित थे। उनके मन में ज्ञान की असीम पिपासा थी और विद्वता के प्रति उनके मन में बड़ा सम्मान था। प्रशिक्षण और मानसिक झुकाव की दृष्टि से अम्बेडकर संवैधानिक लोकतंत्रवादी थे। यद्यपि उन्होंने सामाजिक भेदभाव और अन्याय के खिलाफ प्रतिरोध और सिविल नाफरमानी का रास्ता अपनाया लेकिन सांवैधानिक परिवर्तन को बेहतर मानते थे। उनका हिंसात्मक क्रांति में विश्वास नहीं था। वयस्क मताधिकार तथा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के रास्ते लोकतांत्रिक परिवर्तन पर उनकी आस्था थी। उन्होंने अपने अनुयायी स्त्री–पुरुषों में मतदान के अनुशासन की जो भावना भरी वह देखने योग्य थी। अम्बेडकर ने ग्राम पंचायत संस्था की इसलिए निंदा की क्योंकि वे सोचते थे कि ये गांव, जाति–प्रणाली, अत्याचार और शोषण के मूर्तरूप हैं। वे पुरानी व्यवस्था को ध्वस्त करना चाहते थे और जाति, धर्म, लिंग आदि के भेदभाव को मिटाकर सभी मनुष्यों को समान महत्व देने के सिद्धान्त के आधार पर लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाना चाहते थे।

अम्बेडकर का कहना था कि लोकतंत्र की सफलता के लिए कम से कम दो राजनीतिक दल हों – एक सरकार चलाने के लिए और दूसरा उस पर चौकसी रखने के लिए, जिससे वह स्वेच्छाधारी नहीं बन सके। प्रजातंत्र में विरोध का सशक्त होना अत्यधिक आवश्यक है, क्योंकि कमजोर विरोध सरकार पर सतर्क निगरानी और निरन्तर चौकसी रखने में समर्थ नहीं होता। अगले चुनाव तक विरोधी पक्ष सरकार की गतिविधियों पर बराबर नजर रखता है। यही कारण है कि ब्रिटेन एवं कनाड़ा में विरोधी दल के नेता को शासन की ओर से संसद में पृथक कमरा, कार्यालय और टाइपिस्ट, स्टेनोग्राफर, सचिव व आवश्यक स्टॉफ दिया जाता है। जिससे कि वह विरोध पक्ष के दायित्व का निर्वाह सुचारू रूप से कर सके। अम्बेडकर का मत था कि बनियों, मारवाड़ियों और करोड़पतियों से सहायता लेकर संसदीय लोकतंत्र को सफल नहीं बनाया जा सकता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता और स्वाधीनता को बचाने के लिए यह आवश्यक है कि संसदीय जनतंत्र को बाहरी धन से बचाया जाए। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव तभी हो सकते हैं जब उच्च वर्गों से धन लिए बिना चुनाव कराए जाएं। अन्यथा भारत का संसदीय जनतंत्र अपने मूल उद्देश्य से भटक जाएगा। यदि यह असफल होता है तो साम्यवादी व्यवस्था हस्तक्षेप करने

लगेगी और हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाएगी। देश के विद्वान व्यक्ति होने के नाते हमारा और आपका कर्तव्य है संसदीय शासन व्यवस्था को सही अर्थो में जीवित रखने की दिशा में प्रयास। अम्बेडकर के अनुसार संसदीय लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का होना आवश्यक है। राजनीतिक दल जनमत की अभिव्यक्ति एवं उसके क्रियान्वयन के अभिकरण हैं, लेकिन व्यवहार में राजनीतिक दल जनमत का निर्माण करते है। अम्बेडकर के अनुसार राजनीतिक दल को दो कार्य करने चाहिए। एक तो इसे जनता के साथ सम्पर्क स्थापित करना चाहिए और दूसरा जनता के बीच अपनी नीतियों एवं कार्यक्रमों का प्रचार करना चाहिए।

प्रमुख सुझाव

लोकतंत्र में सुधार एवं इसे और प्रभावी बनाने हेतु निम्न सुझाव दिये जा सकते है यथा–

1. जनता में शिक्षा का स्तर बढ़ाया जाना चाहिए।
2. गरीबी का उन्मूलन किया जाए।
3. लोगों को मतदान करने हेतु प्रोत्साहित किया जाए।
4. बुद्धिमान एवं शिक्षित लोगों को नेतृत्व की भूमिका दी जानी चाहिए।
5. साम्प्रदायिकता का उन्मूलन किया जाना चाहिए।
6. निष्पक्ष एवं जिम्मेदार मीडिया सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
7. लोकतंत्र में जिम्मेदार विपक्ष का होना बहुत जरुरी है। इसलिए एक रचनात्मक विपक्ष होना चाहिए।
8. लोकतंत्र में निर्वाचित सदस्यों अर्थात् जनप्रतिनिधियों के कार्यो की निगरानी की भी व्यवस्था होनी चाहिए।

निष्कर्ष

डॉ. भीमराव अम्बेडकर की लोकतंत्र में अपार निष्ठा थी। उनका मत था कि दुनिया में लोकतंत्र से श्रेष्ठ शासन प्रणाली नहीं हो सकती। व्यक्ति के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास लोकतंत्र में ही हो सकता है। अम्बेडकर ने राजनीति में प्रजातंत्र को एक जीवन मार्ग के रूप में अपनाने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि यदि राजनीति में समता, न्याय, शोषणविहीन समाज की स्थापना करनी है तो प्रजातंत्र को एक मार्ग के रूप में अपनाना ही होगा। उन्होंने पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ प्रजातंत्र की आवश्यकताओं पर बल दिया, जिससे राजनीति का उपयोग समता, न्याय, शोषणविहीन समाज की स्थापना में किया जा सके।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

एहसास, रमेश; बाबा साहब डॉ भीमराव अम्बेडकर, शिलालेख पब्लिशर्स, दिल्ली, 2018

अम्बेडकर, बी. आर., द अनटचेबल, भारतीय बुद्ध शिक्षा परिषद्, बलरामपुर, 1969

चौहान, संदीप सिंह; भारत में दलित चेतना , आर बी. एस. ए. पब्लिशर्स, जयपुर, 2004

गुप्त, विश्व प्रकाश ; गुप्ता मोहिनी; भारत में सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन, राधा पब्लिकेशंस, दिल्ली, 2001

जैन, धर्मचन्द; भारतीय लोकतंत्र, प्रिंटवैल, जयपुर, 2000

जाटव, डी आर; डॉ. अम्बेडकर एक प्रखर विद्रोही, एबीडी पब्लिशर्स, जयपुर, 2004

कौशिक, रजनीश; आरक्षण व्यवस्थाः समस्या या समाधान, राधा पब्लिकेशंस, दिल्ली, 2010

कुबेर, डब्ल्यू, एन; अम्बेडकर–ए क्रिटीकल स्टेडी, पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली, 1973

कुमार, मनोज, रंजन रवि, 'डॉ. भीमराव अम्बेडकर' कल्पना प्रकाशन, नई दिल्ली, 2009

मिश्रा, महेन्द्र कुमार; भारतीय संविधान में आरक्षण एवं राजनीति, राज पब्लिशिंग हाऊस, जयपुर, 2009

नवल, चन्दनमल; गरीबों के मसीहा डॉ. भीमराव अम्बेडकर, मिनर्वा पब्लिकेशन, जोधपुर, 2013

परिहार, एम. एल., बाबा साहेब अम्बेडकर : लाइफ एण्ड मिशन, बुद्धम पब्लिशर्स, जयपुर, 2017

प्रज्ञाचक्षु, सुकुन पासवान; केवल दलितों के मसीहा नहीं है अम्बेडकर, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली, 2011

सिंह, रामगोपाल; सामाजिक न्याय एवं दलित संघर्ष, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, 1994

श्यामलाल, अम्बेडकर और दलित आंदोलन, रावत पब्लिकेशंस, जयपुर, 2015

यादव, पूरणमल; शेखावत, विजेन्द्र सिंह; दलितोत्थान एवं सामाजिक न्याय, पॉइन्टर पब्लिशर्स, जयपुर, 2008

यादव, वीरेन्द्र सिंह; नई सहस्त्राब्दी का दलित आंदोलन; मिथक एवं यर्थाथ, ओमेगा पब्लिकेशंस, दिल्ली, 2010